

17/12  
24

प्रावली पेश। ककीत वारी/वारी को  
आज्ञा लगाई गयी। बार-बार आवाज  
लगाने के बावजूद भी ककीत वारी।  
वारी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने  
पर वारी का वार अरम हाजरी अरम  
फैली में स्वारिज किया जाता है।  
प्रावली फैलीत शमात होकर नम्बर  
से कम होकर दारिजत इफतर हो।